(28)

समक्ष :– मननीय न्यायलय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क.......... पुनर्विलोकन-249/2019/सिवनी/भू.रा.सं. दिनॉक 06-02-2019

शुशीला बाई पति जयराम वगैरा
निवासी साकिन सीरदीवान तहसील
सिवनी जिला सिवनी म.प्र.

विरूध

मध्यप्रदेश शासन

मानीय न्यायलय अपर कलेक्टर सिवनी के राजस्व प्र.क.
201/अ–21/2010–11 के आदेश के वावत्

म.प्र. भू.राजस्व संहिता की धारा 51 के तहत्

यह कि आवेदक के पति स्व. जयराम पिता माहूलाल जाति गौड़ अनुसूचित जनजाति के भूमिस्वामी निवासी ग्राम सीरदीवान रा.नि.म. सिवनी तहसील सिवनी व जिला सिवनी द्वारा ग्राम सीरदीवान की अकृषि भूमि मकान का खसरा न.63/94 रकबा 0.009 हे. अर्थात 1000वर्गफुट भूमि जो कि आवेदक गणो के नाम से राजस्व अभिलेखो में दर्ज हैं यह कि ग्राम सीरदीवान की मकान भूमि अकृषि ख.न. 63/94रकबा 0.009 अर्थात 1000 वर्गफिट भूमि अपनी पुत्री के उच्च शिक्षा के कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता होने के कारण गैर आदिवासी केता को विकय करने का निवेदन किया था । तथा जो कि माननीय न्यायलय अपर कलेक्टर सिवनी के आदेश कमॉक 201/अ–21/2010–11 आदेश दिनॉक 18/08/2011 को गैर आदिवासी केता को विकय हेतु आदेशित किया गया था ।

यह कि ग्राम सीरदीवान ख.न.63/94रकबा 0.009 हे. भूमि पर निर्मित मकान का विकय जयराम पिता माहूलाल के द्वारा सईद खान

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन 0249/2019/सिवनी/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-6-2019	आवेदक के विद्वान द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 201/अ-21/10-11 में पारित आदेश दिनांक 18-8-2011 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:- 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा प्रेश नहीं की जा सकती थी, या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किया गया है । आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात या साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल कलेक्टर द्वारा पारित विधिसंगत आदेश में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	